प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 153/2022

मंडल प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 5 स्टार कॉम्प्लेक्स, लवली होटल के पास, पावर हाउस, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।प्रभारी के द्वारा, टी.पी. हब, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम तल, एलआईसी बिल्डिंग, मगरपारा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

1 – श्रीमती. श्रीमती निर्मला यादव पति स्वर्गीय श्री दिनेश यादव, 26 वर्ष , निवासी गाँव घोटवानी, निवासी एस. धामधा तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

2 – आरती यादव पिता स्वर्गीय श्री दिनेश यादव, 10 वर्ष,अवयस्क जिनका प्रतिनिधित्व माँ तथा प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती निर्मला यादव पिता स्वर्गीय दिनेश यादव, निवासी गाँव घोटवानी, पी. एस. धामधा तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3 – तुलेश यादव पिता स्वर्गीय श्री दिनेश यादव , 5 वर्ष, निवासी गाँव घोटवानी, निवासी पिता धामधा तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

4 – खिलेश यादव पिता स्वर्गीय दिनेश यादव 4 वर्ष,निवासी गाँव घोटवानी, धामधा तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

5 – श्रीमती. कुमारी यादव पति कृष्णा यादव 47 वर्ष , निवासी गाँव घोटवानी, पी एस. धामधा तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

6 – कृष्ण यादव पिता स्वर्गीय मोती यादव 52 वर्ष, निवासी गाँव घोटवानी,पी एस धामधा तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

7 – हितेश कुमार पिता अश्विनी कुमार निवासी गाँव अहिवाड़ा, पी एस नंदिनी तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

8 – अंकित बाफना, निवासी नंदनी चौक, पेट्रोल टैंक अहिवारा , तहसील धामधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :--श्री आकाश श्रीवास्तव,

उत्तरवादी हेतु :--कोई नहीं, यद्यपि तामील किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ.–माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

18.07 .2025

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के तहत यह अपील अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 297/2017 में पारित आदेश दिनांक 29/09/2021 द्वारा संशोधित दिनांक 31/08/2021 के आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान दावा अधिकरण ने प्रारंभ में 1988 के अधिनियम की धारा 163–ए की संशोधित द्वितीय अनुसूची को लागू करते हुए दावेदारों को 5,15,000/– रुपये की राशि प्रदान की थी, हालांकि,अधिनिर्णय की गणना में अंकगणितीय त्रुटि के सुधार के लिए दावाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर, संशोधन आदेश पारित किया और अधिनिर्णय को 5,15,000/– रुपये से संशोधित कर 5,75,000/– रुपये कर दिया।

2. अपीलकर्ता का मामला यह है कि 02/08/2017 को उत्तरवादी संख्या 1 से 6/दावेदार, जो क्रमशः मृतक दिनेश कुमार यादव की पत्नी, बच्चे और माता–पिता हैं, ने 1988 के अधिनियम की धारा 163–ए के तहत आवेदन दायर किया और 16,90,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति का दावा किया और उसके बाद, 1988 के अधिनियम की धारा 163–ए के तहत अधिनियमित दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया जो 22/05/2018 को लागू हुआ और हालांकि दुर्घटना 04/07/2016 को हुई थी, लेकिन दावा न्यायाधिकरण ने 1988 के अधिनियम की धारा 163–ए के संशोधित प्रावधानों को लागू किया और 5,15,000/– रुपये की राशि प्रदान की, जिसे बाद में इस तथ्य की अनदेखी करते हुए 5,75,000/– रुपये में संशोधित किया गया कि दुर्घटना संशोधन के लागू होने की दिनांक से बहुत पहले हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दावा न्यायाधिकरण ने 1988 के अधिनियम की धारा 163–ए की संशोधित दूसरी अनुसूची को लागू करने में त्रुटि की है क्योंकि संशोधन 22/05/2018 से प्रभावी था और इसे 04/07/2016 को उत्पन्न हुए कार्यवाही के कारण के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता था, जो अधिसूचना के लागू होने की दिनांक से बहुत पहले है, इस प्रकार, आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त करने योग्य है।

4. उत्तरवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, हालांकि तामील हो गया।

5. मैंने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, उनके प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान दावा अधिकरण द्वारा 1988 के अधिनियम की धारा 163–ए की द्वितीय अनुसूची में किए गए संशोधन को तत्काल मामले में लागू करना तथा दावाकर्ता को

तदनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करना न्यायोचित था, जबकि दुर्घटना उक्त संशोधन के लागू होने की तिथि से पूर्व घटित हुई थी?

7. इस संबंध में, **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम उर्मिला हलदर 1** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है ---

"4. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय संक्षिप्त बिन्दु यह है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए में संशोधन, जो 22 मई, 2018 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रभावी हुआ, उक्त तिथि से पहले हुई दुर्घटना से संबंधित होगा।

10. उच्च न्यायालय के आदेश पर अच्छी तरह से विचार किया गया है और हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। हालाँकि, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि किसी लाभकारी विधि में किसी विशिष्ट प्रतिबंध के अभाव में, दावेदार को लाभ दिया जाना अनिवार्य है।वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के दायित्व में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।केवल गणना पद्धति और तौर-तरीके को और स्पष्ट किया गया है, जिसे उच्च न्यायालय ने उचित रूप से नोट किया है और तदनुसार, दावे को बढ़ाकर 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) कर दिया गया है। चूँकि इस न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की राशि के 50% पर रोक लगा दी है, इसलिए उसे आठ सप्ताह के भीतर आक्षेपित निर्णय के अनुसार उत्तरवादी को भुगतान किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **उर्मिला हलदर (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और दावा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के तहत, हालांकि दुर्घटना 04/07/2016 को हुई बताई गई है और 1988 के अधिनियम की धारा 163-ए के तहत आवेदन उत्तरवादी संख्या 1 से 6/दावाकर्ता द्वारा 02/08/2017 को पेश किया गया था, लेकिन दावा न्यायाधिकरण ने रु. 1,00,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की है। 1988 के अधिनियम की धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची में 22/05/2018 से किए गए संशोधन के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में 5,75,000/-, जो मेरी राय में न्यायोचित तथा न्यायसंगत है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को उचित ठहराता है, जैसा कि **उर्मिला हलदर (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है, एक लाभकारी विधि में किसी भी विशिष्ट रोक के अभाव में दावेदार को लाभ दिया जाना आवश्यक होगा।इस प्रकार, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

9. तदनुसार, वर्तमान अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।इस पर कोई वाद व्यय देय आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur